[सभापति महोदय]

आदेश (संशोधन) विधेयक पर चर्चा प्रारम्भ होगी । श्री कौशिक दो मिनट भाषण दे चुके हैं । वह अपना भाषण जारी रखेंगे ।

SHRI JYOTIRMOY BASU : 500 *Basumati* workers are being put on the streets by Shri Asoke Sen and the Government has been a silent watcher. Will you kindly direct the Government to make a statement about what to do with the Basumati ?

SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

SHRI K. M. KOUSHIK (Chanda) : Mr. Chairman, with regard to the guidelines which the hon. Minister for Law and Social Welfare suggested the other day, I want you to turn to page 11 of the Maharashtra Government's publication (1969) wherein the position of Rajgonds has been explained. It says :—

> "There are a number of Adiwasi communities in Maharastra, who live either in dense forests or on mountain perches of the Sahyadris and the Satpudas.The main amongst these are the Warlis, the Katkaris and the Thakurs of Thana and Kolaba districts, the Bhils of Dhulia and the Korkus, Gonds and the Madias of Vidarbha. These Adiwasis still continue to live a primitive life as they used to live centuries ago, despite all the big changes that have taken place in the neighbouring civilised world. Their deities, festivals and modes of recreation–especially their folk-dances and folk-music—have a quaint charm and fascination for the civilised people. But steeped in poverty and ignorance, their lot is most miserable and the irony is that the inertia of ages is so deeprooted in them that they sometimes resist attempts to change the age-old pattern of their life even if it does them good."

This will very clearly show that there are only two types of Gonds in my district, the Rajgonds and the Madias. The Government themselves have admitted that the Rajgonds have not changed their Tribal characteristics and have not been assimilated in the civilisation. Their refusal to be assimilated in the civilisation is a fact. Therefore one of the guidelines which the hon, Minister suggested the other day has failed and there is no case made out for their deletion.

The second guideline which the hon. Minister suggested was the Joint Committee's report. In this case I am very sorry to say, though the Joint Committee at its first meeting actually drew up what line of action they had to take, namely, to go to the specific belt or places where these Tribes actually live and get first-hand knowledge of their living conditions of today so that they will take action either to delete or to include–this was the guideline actually put as you can see from paragraph 8 of the main report.—Actually, what they did was that they went to Nagpur, received some memorandum there, had some discussion and closed the chapter.

My humble submission is that the Rajgonds live in the interior of Chanda District in Sironcha and Gadhchiroli tehsils which are 450 miles away from Nagpur. Even though the Joint Committee laid down the guideline that they would go to the specific belts to study the present condition of these people, they did not go there and, therefore, their report sitting in Nagpur and hearing certain things is not in pursuance of what they had actually decided as their policy in coming to a conclusion at their first meeting.

This is exactly what happened even in Madhya Pradesh. Even in Madhya Pradesh Rajgonds live in the particular areas of Kanker, Sarangarh and the interior of Durg but unfortunately all these areas were not visited. Therefore, my humble submission to the hon. Minister is that the second guideline, which he suggested, so far as the Rajgonds are concerned has also failed. These two guidelines have failed and there is no case made out for their deletion. I thank him for having put in an amendment with regard to their retention among the Tribes.

With regard to the revision of these lists as these lists came in for criticism in Parliament and outside that they were not on a rational

and scientific basis, a Committee was appointed under the Chairmanship of Mr. Lokur. He made as stuby and ultimately retained Rajgonds both in Maharashtra and in Madhya Pradesh. This was the report submitted in August, 1965. In 1969, the Joint Committee submitted its report saying that Rajgonds should be deleted from the list. I ask the hon. Minister : Was there any metamorphosis ? Mr. Lokur after making his study, in the middle of 1965, gave the report that Rajgonds still have primitive and tribal characteristics and that they should be retained. In 1969, the Joint Committee says, "No." They have shaken off all their tribal characteristics and that they have assimilated themselves into the civilisation and, therefore, they should be deleted." I do not know whether there has been any metamorphosis between the time the Lokur Committee Report was submitted and the Report submitted by the Joint Committee. Because they did not visit the particular pockets where the Rajgonds live the Joint Committee is ignorant of the conditions of Rajgonds and therefore, their recommendation for deletion of Rajgonds cannot be seriously considered.

Then, the Joint Committee has suggested the inclusion of Halbas and Halbis. These Halbas and Halbis are only in my district and their population is only 5000. 860 stipends have been given to them in 1968-69. They are confined broadly to two development blocks, Karkheda and Dhanora. But actually Halba Koshtis are taking undue advantage of the concessions given to these communities. Halbis and Halbas have nothing to do with Halba Koshtis. These Halba Koshtis omit the name 'Koshtis' and put it as Halba and take undue advantage of the concessions that are intended to these tribals. Therefore, I humbly request you that when you specify these Halbas and Halbis, the area restrictions should be put in. Otherwise, these people are being defrauded by the community called Halba Koshtis who are not tribals at all.

Further, we have a tribe in Bihar called Bhuiya. Bhuiya was treated as tribe. But now it has been put as a caste. That is not correct. It should be a tribe.

Again, Bhovi and Bovi were the castes coming from Mysore. So far, these Bhovi and Bovi were put as castes. But now they have been put as tribes. That is not correct. They should be put as castes.

Coming to the last point with regard to Banjaras, it is a de-notified community. In 1966, when the question of revision of these lists came before the House, late Mr. Rane, a Member of this House, fought for these Banjaras by putting in an amendment that they should be included in the tribes. This was discussed in the House. I would like to invite the attention of the hon. Minister to the Lok Sabha Debates, Volume VIII, 1956, Part II dated 10th September, 1956. This amendment was discussed. There were several speeches and, after that, the vote was taken and it was lost. It was held that they were an advanced community and that they had no tribal characteristic. I would submit that this has been discussed at great length. They have been held to be an advanced community having no tribal characteristics. To include them is to deprive the tribal people of their rights. Therefore, by no stretch of imagination, these Banjaras could be added as a tribal community. So, it should not be allowed to be included in the tribes.

I would like to point out that all commissions and committees are against these Banjaras to be included. They have said that it is an advanced community and that it should not be included in the list of tribes. The Lokur Committee again, as all other Committees and Commissions, has suggested that these Banjaras should not be added because they are an advanced community. The Lokur Committee also has specifically said that it is an advanced community. They have no tribal characteristics. They should not be included. The MPs and MLAs of Maharashtra State have submitted a memorandum before the Joint Committee opposing the inclusion of Banjaras because they are sufficiently advanced and there is no question of any tribal characteristics being in them. In 1966 before this Bill was prepared, the Central Government at that time also discussed this matter. I think they did not accept the idea that Banjaras should be included, If the hon. Minister sees the Bill, he will see that Banjaras have not been included as the Government had already taken a decision in

[Shri K. M. Koushik]

this matter. Even in the Joint Committee, when and amendment was put up, it was hotly contested by the then Minister, Mr. Govinda Menon who said that Banjaras should not be included. There was enough evidence before the Committee to show that it is an advanced community. Even the Government said it and, therefore, the Minister hotly opposed it and the proposed amendment was lost.

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI K. HANUMANTHAIYA): Is there any evidence regarding their educational and economic development ?

SHRI K. M. KOUSHIK : I will come to that. Even the CM who is himself a Banjara, if you see his evidence and the discussions the Committee had with him, has not pressed. He is satisfied with the educational and other concessions that are being given to them as a backward and denotified community. He is quite satisfied. He himself did not press that Banjaras are tribals and they have tribal characteristics. This is a matter of great importance and the very fact that he has not passed for inclusion is to be appreciated and the matter concluded.

Again, the Social Welfare Minister of Maharashtra, Shri Bharasker, stated that his only argument for inclusion of Banjaras is that in the neighbouring States Banjaras have been included and so, let there be uniformity and they may be included. This is the only argument he has put in. Not only that the Joint Committee had examined various experts. The Public Relations Officer of Maharashtra State and the people who have worked in the social welfare fields have tendered their evidence before the Committee. They all said that these Banjaras in Maharashtra are a completely civilised set of people. They have no tribal characteristics at all. They are more civilised or at least as civilised as any of us are. Therefore, they do not deserve to be taken into the tribal communities. That is what has been actually said.

SHRI AMRIT NAHATA (Barmer) : Is our Shri Dhuleshwar Meena not civilised ? He belongs to Scheduled Tribes.

SHRI K. M. KOUSHIK : It is a different question. Collectively you have to see. What is the evironment of the majority ? Therefore, my humble submission is that if you include them, then you are opening a serai or choultry or Dharmshala and the real purpose will be defeated. Tribals' chances to improve will be defeated. About Dhimers in Maharashtra and Khiverts in Orissa—both are Dhimers—have been excluded in several places. Therefore, my humble submission is that the hon. Minister will kindly take note of that and see what best can be done with regerd to these two communities.

श्री देवराव पाटिल (यवतमाल) : सभापति महोदय, इस विधेयक को लाने में मेरे परिश्रम कारणभूत हुए हैं। शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की वर्तमान सूची में एक बड़ी अनामोली है जिससे शेड्यूल्ड एरिया और स्पेसिफाइड एरिया के बाहर रहने वाले आदिवासी, जो सूची में हैं, आदिवासी नहीं माने जाते हैं। सर्व प्रथम मैंने 1962 में स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू का ध्यान उस असंगति की तरफ खींचा था और उन्होंने मेरी मांग मान ली थी तथा उनको आदिवासी घोषित करने का वचन दिया था। इसलिये मेरे लिये यह आनन्द का दिन है।

इस विधेयक पर अपने विचार रखने के पहले मुझे प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को बधाई देनी चाहिये। 1967 में विधेयक तैयार करने में और इस विधेयक को 1967 के बजट के अन्तिम दिन संसद में पेश करने में उन्होंने जो व्यक्तिगत रुचि ली है। उसे हम नहीं भूल सकते। उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा हमारे महाराष्ट्र प्रदेश आदिवासी सेवा मंडल के शिष्ट मण्डल को दिनांक 26 नवम्बर, 1963 को दिये गये आश्वासन को पूरा किया है।

शेड्यूल्ड एरिया और स्पेसिफाइड एरिया रेस्ट्रिक्शंस के कारण देश के 50 लाख आदिवासियों को आदिवासी नहीं माना जाता है।

वे पिछड़े वर्गों के माने जाते रहे हैं। 20 वर्षों से शिक्षा, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उनको काफी हानि उठानी पड़ी है। छात्रों को 20 वर्षों से न भारत सरकार की शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें मिली हैं और न भारत सरकार की सेवाओं में आरक्षण की प्रतिशतता के अनुसार रोजगार की सुविधायें मिली हैं। इतना बड़ा महाराष्ट्र राज्य होने के बावजूद भी विदर्भ और मराठवाड़ा के 13 जिलों से कोई भी आदिवासी संसद सदस्य यहां नहीं आ सका। यहां पर महाराष्ट्र से सिर्फ तीन आदिवासी सदस्य वह भी पश्चिम महाराष्ट्र से आये हैं। विदर्भ और मराठवाड़ा के 13 जिले होने के बावजूद कोई आदिवासी सदस्य नहीं आ सका है।

अनेक राज्यों में अमान्यता प्राप्त इन आदिवासियों की संख्या 50 लाख है, महाराष्ट्र के विदर्भ विभाग में उनकी संख्या 10 लाख है, उन पर बुरा असर पड़ा है। अपने दोषों के कारण नहीं, अपितु निवासी होने की प्रचलित शर्तों के कारण उनको कठिनाई उठानी पड़ रही है। बाप शेड्यूल्ड एरिया में रहता है इसलिए आदिवासी है और उसका लड़का शेड्यूल्ड एरिया के बाहर रहता है इसलिए आदिवासी नहीं माना जाता है, यह बाप और बेटे में भेदभाव है। यह एक बड़ी भारी अनामोली है। इस भेदभाव को समाप्त करने की ही हमारी मांग थी।

सभी राज्य सरकारों ने, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री बसन्तराव नायक ने, लोकुर कमेटी ने, स्टेट कमेटी—एम० पी० ने और ज्वायेंट कमेटी ने सिफारिश की है कि वर्तमान क्षेत्रीय प्रतिबन्ध हटाया जाय। केन्द्रीय सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया था कि वर्तमान क्षेत्रीय प्रतिबन्ध हटाया जाए। इसके लिए मैं सबका आभारी हूं। खासकर मैं यशवन्तराव चह्वाण, केन्द्रीय सरकार और ज्वायेंट कमेटी का आभार मानता हूं जिन्होंने इस सिफारिश को माना। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस बिल के द्वारा 50 लाख आदिवासी, आदिवासी घोषित होने जा रहे हैं। उनके लिए यह दिन एक ऐतिहासिक दिन है। मेरे परिश्रम को भी यश मिला, मेरी मांग मंजूर हो गई, इसलिए यह मेरे लिए भी आनन्द का दिन है।

इस बिल का जो उद्देश्य है उसको आपको देखना चाहिए। इसके दो उद्देश्य हैं। अगर आप पहले बिल को देखेंगे तो उसके दो उद्देश्य थे। पहला यह है कि राज्य के क्षेत्रीय प्रतिबन्ध को दूर किया जाय तथा केवल उन जातियों को शामिल करना जो हमारी गलती से छोड़ दी गई हैं। पहले उद्देश्य का मैंने स्पष्टीकरण किया है कि आज जो सूची है आदिवासियों की उसमें जो एरिया रेस्ट्रिक्शन किया गया है कि स्पेसिफाइड एरिया में रहने वाले, शेड्यूल्ड एरिया में रहने वाले लोगों को ही आदिवासी माना जाय और जो बाहर रहते हैं उनको न माना जाये। इस विषमता को दूर किया जाय। दूसरा उद्देश्य रिवीजन आफ लिस्ट का था। आखिर रिवीजन आफ लिस्ट का मामला आया क्यों? आज की लिस्ट का पुनर्वीक्षण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके दो कारण थे। एक तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ। वह जजमेंट क्या था: रीसेंट डिसीजन आफ दि सुप्रीम कोर्ट है। अपील नं० 401 आफ 1964। आज की जो अनुसूचित जाति और आदिवासियों की सूची है उसमें मेन कास्ट और मेन ट्राइब्ज लिखी गई है। केन्द्रीय सरकार का ख्याल था कि उनमें उनकी उप-जातियों, सब-ट्राइब्ज और उप-नाम जो हैं वह आटोमैटिकली सम्मिलित हो सकती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि चाहे मेन जातियां हों, चाहे उनकी उप-जातियां हों, उनके नाम उनमें होने चाहिएं तभी कांस्टिट्यूशन के अनुसार यह जाति अथवा जनजाति समझी जायेगी। इसलिए रिवीजन आफ लिस्ट का मामला केन्द्रीय सरकार के सामने आया और

[श्री देवराव पाटिल]

रिवाइज्ड लिस्ट तैयार करने का काम शुरू हुआ ।

आपको पता होगा कि कांस्टिट्यूशन में सूची बनाने का अधिकार प्रेजिडेंट को दिया गया है । लेकिन इस सूची में किसी को जोड़ना हो या किसी को उससे निकालना हो तो यह अधिकार कांस्टिट्यूशन की धारा 341 और 342 के अनुसार सिर्फ पार्लियामेंट को दिया गया है अगर आप कांस्टिटुएंट असेम्बली की प्रोसीडिंग को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस चीज को कितना इम्पार्टेंट माना गया है । जैसे अगर किसी स्टेट के वार्डर को चेन्ज करना हो, उसको कम करना हो या बढ़ाना हो, तो इसका अधिकार संविधान ने पालिया-मेंट को दिया है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट को नहीं दिया गया है । इसलिये यह महत्वपूर्ण बात है और इस पर सावधानी से विचार करना चाहिये । मुझको यह कहते हुए आनन्द होता है कि केन्द्रीय सरकार ने जो बिल बनाया, केन्द्रीय सरकार ने जो सूची बनाई, वह पूरा विचार करने के बाद, सावधानी से विचार करने के बाद, बनाई और उसके अनुसार यह विधेयक तैयार किया गया है । आपको पता होगा कि जब रिवीजन का काम आया पहले पहले, तब वह लिमिटेड था कि कौन सी जातियां और कौन सी उप-जातियां होगी, इस पर हिन्दुस्तान के सब प्रान्त विचार करेंगे । केन्द्रीय सरकार के लिए यह कोई हलका सा काम था, यह मैं नहीं मानता । इसलिए उन्होंने राज्य सरकारों से सलाह ली । जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के संसद्-सदस्य थे और स्टेट्स के कसर्न्ड मिनिस्टर थे उनकी मीटिंग बुलाई और उनका परामर्श लिया । इसके लिए एक हाफ पावर्ड कमेटी अप्वाइंट की, जो हर एक स्टेट में गई । एक स्टेट में एन्क्वायरी की और उसके बाद यह बिल तैयार हुआ । इस बिल को तैयार करने के बारे में, जब श्री अशोक मेहता इस बिल के इंचार्ज थे, उन्होंने काफी कष्ट उठाया और सावधानी के साथ इस बिल को तैयार करने की कोशिश की । रिवीजन आफ लिस्ट का जो काम होता है उससे हर एक को उसमें शामिल होने के लिये सुविधा मिलती है, उनको कांस्टिट्यूशन के अनुसार अपनी मांग रखने का अधिकार मिलता है । अगर इस तरह से देखा जाय तो पता लगेगा कि इस सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिये किसी विशेष समुदाय में नाम दर्ज कराने के लिये कई अर्जियां आई । इसका कारण यह है कि कांस्टिट्यूशन के मुताबिक उन लोगों को कुछ सुविधाएं मिलती हैं । दूसरा जो वर्ग है जिसको डिनोटिफाइड, नोमैडिक कम्युनिटीज या बैकवर्ड क्लासेज कहा जाता है, उनको कांस्टिट्यूशन के सेफगार्ड नहीं हैं, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नति करने के लिये कांस्टिट्यूशनल सेफगार्ड नहीं हैं । इस कारण से इतनी बड़ी संख्या में अर्जियां हमारे पास आईं । ज्वायंट कमेटी ने बहुत मेहनत से, परिश्रम से काम किया है और अपने निर्णय दिये हैं । कमेटी ने स्टडी टीम्ज भी बनाई और उन्होंने भी जो काम किया वह उल्लेखनीय है, प्रशंसनीय है । कमेटी ने सब काम करने के बाद जो सिफारिशें दी हैं उन सिफारिशों को उसने सदन में अपनी रिपोर्ट की शक्ल में रख दिया था जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं । हर स्टेट में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की लिस्ट है । उनके अलावा डिनोटि-फाइड कम्युनिटीज और नोमैडिक कम्युनिटीज भी हर स्टेट में हैं । उन लोगों की संख्या भी कुछ कम नहीं है । समिति की अनुसूचियों में शामिल करने के लिये 270 से अधिक ज्ञापन और प्रतिवेदन प्राप्त हुये थे । इनमें से अधिकांश डिनोटिफाइड कम्युनिटीज और नोमैडिक कम्युनिटीज से प्राप्त हुए थे । ये लोग देश भर में बिखरे हुये हैं । उनके कल्याण सम्बन्धी कार्य अभी तक नहीं किए गए हैं । ये विशेष सहायता के पात्र हैं । उन्हें सामाजिक, शैक्षणिक तथा

आर्थिक उत्थान के मामले में अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के समान माना जाना चाहिये।

यहां आल इंडिया डिनोटिफाइड तथा नोमैडिक कम्युनिटीज की एक फैड्रेशन है जिसके सभापति ढेबर भाई हैं। उन्होंने भी अपना निवेदन भेजा था। उन्होंने मांग की थी कि इन लोगों को ये सब सुविधायें प्रदान करने के लिये एक सैपरेट कमिश्नर की नियुक्ति हो और आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक उन्नति इन लोगों की करने के लिये अलग से व्यवस्था की जाए, अलग से राशि रखी जाए। मैं चाहता हूं कि इस ओर सरकार का विशेष ध्यान जाना चाहिये।

ज्वाएंट कमेटी ने एक और सिफारिश की है। समिति का कहना है कि आदिवासी जब धर्म परित्याग करता है तो वह आदिवासी नहीं रह सकता है। इस प्रश्न पर समिति ने बहुत गम्भीरता और बहुत विस्तार से विचार किया है। वक्त इतना नहीं है कि मैं उसमें जा सकूं। लेकिन इस अवसर पर स्वर्गीय श्री मैनन साहब ने जो कमेटी में काम किया और जो कष्ट उठाया, वह प्रशंसनीय था। जब भी कोई विवाद खड़ा हुआ, मतभेद हुआ, उस वक्त उन्होंने एक्सपर्ट भेजे, राज्यों की सलाह ली और कमेटी के सामने खुली चर्चा की, ओपन माइंडिड चर्चा की। आज के दिन उनका स्मरण हो आना स्वाभाविक है। जो सिफारिशें कमेटी ने कीं उसके बाद अब यह कहना कि इस या उस चीफ मिनिस्टर ने या मैसूर के चीफ मिनिस्टर ने यह कहा है कि चूंकि कमेटी ने विशिष्ट सूची में रखने का सुझाव नहीं दिया है, इस वास्ते शैड्यूल्ड कास्ट में उस जाति को नहीं रख सकते हो तो शेड्यूल्ड ट्राइब में रखो, किसी भी सूची में रखो, कोई मतलब नहीं रखता है। इसलिए मैं कहता हूं कि इनक्ल्यूशन और एक्स्क्लूजन का सवाल काफी बड़ा सवाल है। समिति ने ईसाई आदिवासियों के बारे में काफी चर्चा की है। डिफ्रेंस आफ ओपिनियन भी इसके बारे में काफी था। लेकिन उसने यह कहा है कि जो आदिवासी धर्म परित्याग कर देता है उसके बाद अनुसूचित जन-जाति के लिए जो कसौटियां रखी गई हैं, वे नहीं रहती हैं, किसी को शेड्यूल्ड कास्ट अथवा ट्राइब मानने के लिए कुछ कसौटियां हैं। अब आप देखें कि जनजाति में लेने के लिए या रखने के लिए कौन सी कसौटियां हैं। पहली तो यह है कि समुदाय के साथ मुक्त रूप से मिलने जुलने में संकोच, शाईनेस आफ कांटैक्ट विद दि कम्युनिटी एट लार्ज, दूसरी है आदिवासी लक्षण, डिसटिंक्टिव कल्चर। इस वास्ते ईसाई बनने के बाद आदिवासियों को आदिवासी नहीं माना जाना चाहिये। अगर वे कसौटियां फिर भी कायम रहती हैं तो कोई हर्ज नहीं है लेकिन ये रहती नहीं हैं।

अब मैं प्रवासी व्यक्तियों के बारे में कहना चाहता हूं, जो एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में माइग्रेट कर जाते हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूं। अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अभी भी उस जाति का व्यक्ति नहीं माना जाता है जब यह किसी दूसरे राज्य में जा कर रहने लग जाता है जब तक कि वह उसी राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किसी एक जाति से सम्बन्धित न हो। समिति ने यह उपबन्ध किया है कि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति यदि किसी दूसरे राज्य में जा कर रहने लगता है तो वह उस राज्य की अनुसूचित जाति का व्यक्ति समझा जाएगा। किन्तु इसी प्रकार का उपबन्ध अनुसूचित जन-जाति के ऐसे किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में लागू नहीं होता है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जा कर रहने लग जाता है। अनुसूचित जन-जाति का आदमी भी अपना धर्म और अपनी संस्कृति ले कर ही दूसरे राज्य में जाता है और वह आदिवासी का ही जीवन व्यतीत करता है। इस वास्ते मेरी प्रार्थना है कि उसको भी आदिवासी वहां माना जाना चाहिये।

[श्री देवराव पाटिल]

अब इस विधेयक को पारित किए जाने की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं । हमने संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक पास कर दिया है जिसके अनुसार आरक्षण की अवधि को हमने दस साल के लिए बढ़ा दिया है । चुनाव 1972 में होने वाले हैं या उससे पहले भी हो सकते हैं । उन चुनावों के लिए सूचियां तैयार करनी होंगी । इस विधेयक का असर अमान्यता प्राप्त पचास लाख आदिवासियों पर पड़ने जा रहा है । उनको इसका लाभ मिलने जा रहा है । मैं चाहता हूं कि यह विधेयक जल्दी से पास हो ताकि उनको इसका लाभ मिल सके । इसी सत्र में इसको पास करना आवश्यक है ताकि जिनको इस विधेयक के द्वारा सूचियों में शामिल किया गया है, उनको इसका लाभ मिल सके । मंत्री महोदय ने 421 नम्बर के संशोधन द्वारा यह कहा है कि 1961 की जगह 1971 किया जाए । वह तो ठीक है । लेकिन सेंसस लिस्टें 1971 में बनेंगी और दिसम्बर, 1971 में प्रकाशित की जाएंगी और इन लोगों के नाम सूची में तो आएंगे लेकिन संख्या के अनुसार रिजर्व सीट नहीं होगी डीलिमिटेशन कमीशन नहीं बन सकेगा । इसका परिणाम यह होगा कि 1972 के इलेक्शन में या उससे पहले अगर इलेक्शन हुआ तो इसका लाभ उनको नहीं मिलेगा । उनको इसका लाभ मिल सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि चुनाव आयोग को इन लोगों की सूचियां अभी से तैयार करने का अधिकार दिया जाए ताकि 1972 या उससे पहले अगर चुनाव होता है तो इसका लाभ उनको मिल सके ।

*SHRI G. KUCHELAR (Vellore): Mr. Chairman, I am very happy to avail myself of the opportunity to speak in Tamil on the Bill to provide for the inclusion in, and the exclusion from, the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, of certain castes and tribes, which is now before the House.

I am surprised to note that the Joint Committee to which this Bill was referred, did not give full and due consideration to the aims and objects of the Bill. The Bill as reported by the Joint Committee seeks to include certain castes and tribes and excludes some others from the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. My charge is that the Joint Committee has not discharged its duty in not examining as to which are the castes that have attained a higher economic status and which are still having no opportunity to come up, before deciding the question of inclusion in and exclusion from the lists of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes of certain castes and tribes.

We see rom the report of the Joint Committee that the number of people belonging to the castes which have been included in the lists is large, but the number of people belonging to the castes that have been excluded is very much small. The report of the Joint Committee illustrates even after 22 years independence how much benefit these people have derived from the concessions and facilities extended to them. As the hon. Minister pointed out the other day, the number of people belonging to the castes that have now been included is 77,756 or so and they are spread all over India. Even when I regretfully say that the number of inclusion is more and the number of exclusion is small, I find that still many of the neglected and socially ostracised castes in Tamil Nadu not been included in the lists and I would charge that the Joint Committee has failed in its duty. I would request the hon. Minister to give thought to this question. There are many castes in Tamil Nadu which are suppressed and oppressed, neglected and treated as untouchables. The hon. Minister himself hails from Mysore, a Southern State, and he must be aware of the conditions there.

In North Arcot district a caste by name, Nariklcuravars live in large numbers. They do not live in one particular place. They do not also have houses to live and they are all illiterates. They are nomads. They are the out castes of the society. Even the Scheduled

*The original speech was delivered in Tamil.

Castes people do not accept them as a part of their own. I regret to say that the Joint Committee had made no reference to them at all. These Nariklcuravars are called jocularly as 'Kuruvikkarans'; they are also known as Nadodigal. They get their name from the place where they are born. They are unable to live in any particular place for long. If one of them is born in Alathur he is known as Alathur Singh. If one is born in Chennai he is known as Chennai Singh. If another is born in North Arcot he is known as Arcot Singh. Though they are some times proud of being called Singhs, they are the neglected lot in the society, educationally and economically. I would also say that they are treated as out castes of the society. I would request the hon. Minister to include this community also in the list.

There is another community called Chandalas in Tamil Nadu. My Hindi speaking friends as also others may not know about them. In English they are known as the sinners of the community; they are treated as the symbols of sions. Why should there be such a community at all in any society? Having social reformation as their foremost aim, the DMK which is at present ruling Tamil Nadu have removed this stigma of being called as Chandalas and have included them in the list Adidravidas.

With a view to identifying themselves with the trials and tribulations and the hopes and aspirations of the suppressed and oppressed sections of the society, for example, these Adidravidas, and with a view to doing away with the traditional system of calling a section of the society by any particular name, my Party assumed the name of Daravida Munnetra Kazhagam. After having analysed and understood the basic structure of the society, the DMK is engaged in the sacred task of ushering in an era of casteless society in Tamil Nadu.

There is also another neglecte7 community known as 'Sangoothigal'. They are the people who lead the funeral procession. I do not know how such an insulting name has been given to them. All these names have been removed and these communities have been brought under the classification of Adidravidas I submit that the Central Government should also recognise them as such.

When I begin to think of these things I feel sometimes amused. No. doubt, the lists have been expanded by including certain castes. But there is no list showing the castes which have reached a certain economic status. Sometimes I entertain even this thought that is the concessions economic, educational and employment—are not extended merely on the basis of caste which happened to be enumerated in such lists, perhaps the caste distinctions that are there now, may disappear. I would add that even in the matter of extending such concessions there is discrimination. If a labourer gets an annual income of Rs. 2,500, he does not become eligible for educational concessions. Now a days, with a monthly income of Rs. 200-300, it is very difficult for any one to make both ends meet. I would request the hon. Minister to raise existing minimum income limit of Rs. 2,500—3000/- for the purposes of extending such concessions. I am glad to state here that the Tamil Nadu Government has raised the minimum income limit from Rs. 1,500 to Rs. 2,500/-, thus covering a larger number of people belonging to Scheduled Castes for the purpose of extending such concessions.

I commend this step taken by the Tamil Nadu Government and I request that the Central Government here should also adopt that.

The hon. Minister quoted the other day, from the report of the Joint Committee and said that if a women not belonging to the scheduled caste desired to marry a man belonging to the scheduled caste, she would become entitled to all the privileges under this Bill. I welcome that statement; but I would say that this would happen automatically without any body's intervention. When we talk about generation in our country, it is the male who matters in counting the generation. If an Adidravidian is a male then his descendants will automatically get all the concessions. But at the same time it would be a commendable step if the Government came forward to extend such benefits and concessions in the case of a mixed marriage, when a male belonging to other caste married a scheduled caste female.

My interpretation of the famous Tamil

[Shri G. Kuchelar]

couplet of Thiruvalluvar "Agara Mudala Ezuthellam Adi Bhagawan Muthepre Ulagu" would be : Adi, Adidravadian giri married a Brahmin boy named Bhagwan and their son was Thiruvalluvar ; his couplets have universal appeal. If this is true and the Adidravidians are the descendants of Thiruvalluvar, if you want to make these people a part and percel of the society, if you want to create a casteless society in our country, then you cannot afford to treat them as inferior to any other community. Let us follow the precepts of the Great Thiruvalluvar, who has been accepted not only by our India but by the whole world, as a man of no caste, to lead our nation for the purpose of having a society of no caste or community.

So far as Andhra State is concerned there is a scheduled tribe known as Palli. They are living on the sea coast engaging themselves in fishing. Such of them who live in the interior have been incorporated in the list of scheduled caste and scheduled tribes but this community living on the sea coast have no ouportunity to progress and I would appeal to the hon. Minister to include this community also in the list.

When I think of these things, I wonder how long the Government will rest content with riggmaroles. I also do not know how long the Government will take to bring in a casteless society in our country. In the end I would appeal that in the matter of extending concessions there should be no discrimination between male and female. I request that the Government should take appropriate steps in this direction. With these few I conclude my speech.

15 hrs.

*SHRI P. C. ADICHAN (Adoor): Mr. Chairman, Sir, I welcome this Bill. This Bill was introduced in this House in August 1967. Only after three years we have been able to take it up for consideration. This is not a very happy thing. I would request the Government and also this House to show more interest and seriousness in considering matters connected with the backward classes of our society who are suffering from many difficulties.

I welcome the recommendation of the Joint Committee to remove from the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes names like Chadala, Panchama, Paraya etc., which actually bring indignity on the people belonging to those sects. But, I would like to suggest that when those names are removed from the lists care should be taken to see that the people who were previously classified under those names are not made to suffer any loss of the concessions and facilities that they were enjoying before.

In the report of the Joint Committee it has been clearly stated that the classification of Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be done on the basis of bockwardness suffered by them in the matter of finance and education due to the prevalence of untouchability. It is also stated in the report that the list of Scheduled Tribes should be prepared taking into consideration the way of living and special characteristics in the traditions followed by the people in a particular area. I fully agree with this recommendation of the Committee. But, I strongly oppose the suggestion that if a Scheduled Caste or Scheduled Tribe person embraces another religion his backwardness and financial difficulties cease to exist and he should not be given the concessions and facilities he used to get. To whatever religion a person may belong if he suffers from certain difficulties in the society he should be given protection by the Government. In our country which has accepted secularism as a basic principle the process of dividing backward people into Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the basis af castes is not at all correct.

Many amendments have been tabled by hon. Members and also the Government to include a number of castes and sections of society in different States in the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In my opinion those that come under the general principles that. I have mentioned should be accepted by the Government.

With these words, Sir, I once again welcome the Bill.

*The original speech was delivered in Malayalam.

श्रीमती लक्ष्मीबाई (मेडक) : सभापति जी, मैं सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री को बधाई देती हूं और ज्वाइंट कमेटी वालों को बधाई देती हूं। बेचारे बड़ी मुश्किल से कुछ रिपोर्ट यह लाए हैं। मगर सब कुछ उसमें नहीं आया। हम सोचते बहुत हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में कुछ करना चाहिए मगर कुछ कर नहीं सकते हैं, ऐसा बड़ा यह मामला है। मैं श्री देवराव पाटिल को भी बधाई देती हूं कि इस बिल को लाने में उन्होंने बहुत कोशिश की। कई नामों को शरीक करने के लिए इस में आया है। मगर एक बात मैं यहां कहना चाहती हूं सब भाइयों को बुरा नहीं लगना चाहिए, जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बड़े-बड़े लोग यहां आये हैं वह अपने छोटे भाइयों, अपनी छोटी-छोटी उप-जातियों के बारे में कभी नहीं सोचते। उनकी कई उपजातियां हैं जो इसमें शामिल नहीं हैं जिनकी तरफ वह कभी ध्यान नहीं देते और उनको वह इसमें आने नहीं देते। दो जातियां शेड्यूल्ड कास्ट की हमारे आन्ध्र प्रदेश की हैं मादिगा और माला जो बहुत आगे बढ़ गई हैं। इन्हीं को फायदा हुआ है। लेकिन इनके आगे जो इनकी उपजातियां हैं या जैसे डकला, चिन्दौलू आदि जातियां हैं इनको यह इसमें शरीक नहीं होने देते। 20 साल हो गये, यह कुछ नाम अभी तक ऐसे ही पड़े हैं जिनको कोई इस सूची में शरीक करने के ऊपर ध्यान नहीं देता और इनको इसमें शामिल नहीं होने दिया जाता। तो बात यह है कि जो बड़े बड़े आये हैं कुछ जिनको रेप्रेजेन्टेशन मिला है स्टेट में और सेंटर में भी वही सारा फायदा उठा रहे हैं। मगर जो बाहर हैं वह उसमें शरीक नहीं हो सकते हैं। इतनी उनकी गिरी हुई हालत है मगर कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। अभी हमने मद्रास के एक माननीय सदस्य को सुना जो यह कह रहे थे कि चांडाल को इसमें से निकाल देना चाहिये। लेकिन यह चांडाल भी हरिजन होते हैं। हमारे यहां भी यह होते हैं। इनको इसमें से निकाला नहीं जाना चाहिए। बहुत सोच समझ कर जिनको निकालना है उनके बारे में निर्णय लेना चाहिए और इसी तरह जिनको दर्ज करना है, उन बारे में भी सोचना चाहिए।

मैं अपने यहां की एक दो जातियों के बारे में बहुत जोर देना चाहती हूं। आपको सबको मालूम है कि तेलंगाना एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है, वहां पर गरीब लोग बहुत हैं। वह पढ़े लिखे नहीं हैं, काम भी कोई नहीं हैं, इंडस्ट्री भी नहीं है, इसलिए वहां पर बहुत गरीब लोग रहते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की ज्वाइंट कमेटी के मेम्बर्स जब हैदराबाद गए थे तो मैं खुद उनके पास गई थी और बहुत से रेप्रेजेन्टेशंस लोगों ने दिये थे। मेम्बर लोग मेरे घर पर गये थे, मैंने उनको घर पर बुलाया था और दावत भी दी थी। मगर जो मेमोरेंडम मैंने उनको दिया था वह कहीं गिरा दिया या क्या किया, वह गुम हो गया और आंध्र प्रदेश सरकार ने जो रिपोर्ट दी केवल उसी को वह लेकर आये। वह जो मछली पकड़ने वाले फिशरमैन होते हैं, ज्वाइंट कमेटी ने उनमें से दो नामों के लिए सिफारिश की है लेकिन हमारे यहां आंध्र में 12 नाम हैं—1. अग्निकुल क्षत्रिय, 2. वादावल्ज्या, 3. गंगवार 4. गलारी, 5. पल्ली, 6. वानाकुल क्षत्रिय, 7. वानाकापू, 8. वाने रेड्डी, 9. पल्ली कापेर, 10. पल्ली रेड्डी, 11. नेय्याला और 12. पट्टापू। यह आंध्र के नाम हैं। उस इलाके में सबके नाम ऐसे ही होते हैं। उस एरिया में कन्नड़, तेलंगाना और महाराष्ट्रियन, ये तीन नाम अलग अलग होते हैं। मेरा यह कहना है कि तीन नाम गूंडला, वेस्ता और गंगपुत्रा यह उसमें और शामिल किये जाने चाहिये। हमारी बदकिस्मती समझो कि यह नाम ज्वाइंट कमेटी ने रेकमेंड नहीं किए हैं। दो नाम अग्निकुल क्षत्रिय और पल्ली यह आंध्र के नाम हैं, इनको उन्होंने लेने के लिए रेकमेंड किया है, बाकी नाम तेलंगाना

[श्रीमती लक्ष्मी बाई]

एरिया के वह इसमें नहीं लाए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि गंगपुत्रा, वेस्ता और गूंडला यह तीन नाम जो हैं, इनको इसमें अवश्य शामिल करें। ज्वाइंट कमेटी ने जिन नामों की सिफारिश की है उनके अलावा यह तीन नाम और उसमें शामिल किये जाने चाहिए। इसके लिये आंध्र के सभी एम० पीज० सपोर्ट कर रहे हैं, सबने इसके लिये कहा है और हमारी आंध्र गवर्नमेंट ने भी मिनिस्टर साहब को इसके लिये लिखा है। मिनिस्टर महोदय बहुत अच्छे हैं, वह हमारे इस सुझाव को कबूल करें। इसके लिये हमने अमेंडमेंट्स दिए हैं और आंध्र के सभी मेम्बर इसका समर्थन कर रहे हैं। हमारा केस बहुत ताकतवर है। दो नाम जो शरीक हो गए उनके साथ यह नाम शरीक करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सभी मेम्बर इसकी ताईद कर रहे हैं, आंध्र गवर्नमेंट ने लिख कर भेजा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मंत्री महोदय हमारे सुझाव को मान लें और यह अमेंडमेंट स्वीकार करें अग्निकुल क्षत्रिय और पल्ली के साथ गूंडला, वेस्ता और गंगपुत्रा इन तीन नामों को और इसमें शामिल कर लें। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री निरल एनेम होरो (खूंटी) : सभापति महोदय, यह विधेयक दो वर्षों के बाद इस सदन में आया है। हमारे मंत्री महोदय ने अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा कि यह विधेयक कई कारणों से विवादास्पद है। मैं यह मानता हूं कि ज्वाइन्ट सिलैक्ट कमेटी के बाद, उनकी सिफारिशों के बाद यह विधेयक ज्यादा कन्ट्रोवर्शियल हो गया है, विशेषकर उन बातों को लेकर, जहां यह कहा गया है कि जिन आदिवासियों ने अपने आदि धर्म को बदल दिया है, ईसाई धर्म या दूसरा धर्म स्वीकार कर लिया है, उनको आदिवासी या ट्राइब नहीं कहा जाय। मंत्री महोदय ने बहुत अच्छी बातें कही हैं और इस विषय की चर्चा बहुत अच्छे ढंग से की है। उन्होंने यह भी कहा कि ज्वाइन्ट सिलैक्ट कमेटी की सिफारिश को अगर मान लिया जाय तो यह संविधान के बिलकुल खिलाफ होगा, क्योंकि इसमें ऐसी बात कही गई है कि जो आदिवासी हैं, जिन्होंने अपना धर्म त्याग किया है, ईसाई या मुसलमान धर्म को स्वीकार कर लिया है, उनमें और दूसरे धर्मावलम्बी आदिवासियों के बीच डिस्क्रीमिनेशन होगा। इसलिये सरकार की तरफ से जो अमेण्डमेंट मूव की गई है, वह सही ढंग है और मैं इसके लिये मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। मैं आप से सही अनुरोध करना चाहता हूं कि इस सदन को सेन्टीमेंट्स या जजबात को लेकर विचार नहीं करना है, बल्कि बहुत गम्भीरता से, सीरियसली विचार करना है, बल्कि इस दृष्टि से विचार करना है कि हमारा इतना बड़ा राष्ट्र है, उसका जो संविधान है वह सही मायनों में पालन होता है या नहीं। अगर हम जजबात को लेकर चलेंगे या किसी प्रेजुडिस को लेकर चलेंगे तो हम जग में अपनी जग-हंसाई करायेंगे, क्योंकि यह बहुत सहज और सरल बात नहीं है यह एक बहुत अहम सवाल है जो इस वक्त हमारे सदन के सामने है क्या आदिवासी जो ईसाई हो गये हैं या मुसलमान धर्म को मान लिया है, वे इस राष्ट्र के नागरिक हैं या नहीं? वे आदिवासी कहलायेंगे या नहीं?

आज एक आम चर्चा हमारे देश में चल रही है, एक ऐसी मनोवृत्ति हमारे देश में पल रही है और दिनों दिन बढ़ रही है जो आदिवासियों को जिन्होंने ईसाई धर्म या मुसलमान धर्म को स्वीकार कर लिया है शक की निगाह से देखना चाहती है। उनको राष्ट्र-विरोधी समझा जाता है, परन्तु बात ऐसी नहीं है। सभापति महोदय, अगर हम इस मनोवृत्ति का पालन करेंगे या इस मनोवृत्ति को बढ़ावा देंगे तो कल दुनिया के सामने और इस सदन के सामने यह मानना पड़ेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत, जो सैकुलर स्टेट का दावा

करता है वह सेकुलर स्टेट नहीं रह जायगा। अगर ज्वाइन्ट सिलैक्ट कमेटी की इस सिफारिश को मान लिया गया, जो इसके क्लाज 2 (ए) में दी गई है तो क्या आप समझते हैं कि हम दुनिया के राष्ट्रों की जो कमेटी है, या कोमिटी आफ नेशन्ज के सामने सिर ऊंचा कर खड़े हो सकेंगे और कह सकेंगे कि हम एक ऐसे राष्ट्र हैं जो सैकुलरइज्म में विश्वास करते हैं दरअसल हम ऐसा नहीं कर सकेंगे। दुनिया की आंखें खुली हुई हैं, उनके कान खुले हुए हैं, वे भी इस की चर्चा करेंगे।

सभापति महोदय, आज यह गलतफहमी फैली हुई है, और इसकी आम चर्चा होती है, कि जो आदिवासी क्रिश्चियन हो गये हैं, वे बहुत उन्नति कर गये हैं वे अपने रीति रिवाज, गुण और संस्कृति को भूल गये हैं परन्तु बात ऐसी नहीं है। मैं इस कमेटी के सदस्यों और संसद सदस्यों को कहना चाहता हूं, अगर आप उन लोगों के बीच में जायं, जिन आदिवासियों ने मसीही धर्म को स्वीकार किया है तो आप आज भी देखेंगे कि वे अपनी पुरानी रीतियों पर, पुराने दस्तूरों पर, अपनी पुरानी संस्कृति पर आज भी कायम हैं और आज भी बजाय इसके कि ईसाई मिशनरियों ने बहुत सी इन्स्टीट्यूशन्ज खोल रखी हैं, उनके अन्दर लिट्रेसी की परसेन्टेज 25-30 परसेन्ट से ज्यादा नहीं है। इससे यह बात बिलकुल साफ है कि आज भी वे उसी जगह पर हैं, जहां पहले थे। सभापति महोदय, यह कहना बिलकुल गलत है कि ईसाई आदिवासियों ने सरकारी नौकरियों में या दूसरी जगहों में बहुत से जगहें ले ली हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर ईसाई लोग पढ़-लिख गये हैं या सार्वजनिक जीवन में आ गये हैं तो यह उनके प्रयत्नों का फल है। जो आदिवासी ईसाई नहीं हुए हैं और आज भी पिछड़े हुए हैं इनके पिछड़ेपन का दोष मिशनरियों पर कैसे पड़ता है। इस भ्रान्ति को, इस मनोवृत्ति को हमें अपने देश से निकालना होगा। हमारे देश में जो हजारों की संख्या में आदिवासी हैं, जो आज भी बेकवर्ड हैं, पिछड़े हुए हैं उन्हें आगे बढ़ाना है—हिन्दुस्तान में आदिवासियों की संख्या 3 करोड़ के लगभग है और इनमें से केवल 16 लाख लोग ऐसे हैं, जिन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार किया है—अगर हमें इनके पिछड़ेपन को दूर करना है तो इनके लिए मिलकर प्रयास करना होगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में ट्राइबल ब्लाक्स की संख्या 489 है, जिनमें 70 ब्लाक ऐसे हैं जहां आप ईसाई आदिवासियों को पा सकते हैं। इस समय जो रुपया इन पर खर्च हो रहा है उसे देखें पिछले 15 सालों में 205 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। अगर सारे ट्राइबल ब्लाक्स की संख्या को दृष्टि में रखा जाय जो कि 489 है तो इनमें से 70 ब्लाक्स पर, जिनमें कि आदिवासियों ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया है, सिर्फ 29 करोड़ रुपया खर्च होता है। ईसाई तथा गैर ईसाई आदिवासियों में इस रकम का आधा आधा खर्च होता है। इसलिये यह कहना बिलकुल गलत है कि सरकार की तरफ से इनके डवेलपमेंट के लिये जो आर्थिक सहायता मिलती है, उसमें से उन लोगों को जो कन्वर्ट हो गये हैं, ज्यादा मिलती है। इस सदन को इन सब बातों पर ज्यादा गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा।

आखिर में, मैं यह कह देना चाहता हूं कि जो आदिवासी आसाम के टी-गार्डन्ज में, जो मध्य प्रदेश, बंगाल और उड़ीसा से गये हैं, उन को भी वहां पर आदिवासी मानना चाहिये। यह क्षेत्रीय प्रतिबन्ध किसी कीमत पर भी नहीं रहना चाहिये। जिन आदिवासियों की हालत पिछले सैकड़ों वर्षों से शोचनीय है, निम्नस्तर की है, अगर उनको बढ़ावा देना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार का क्षेत्रीय प्रतिबन्ध उन पर नहीं लगाना चाहिये, तभी हम उनकी उन्नति कर सकते हैं, वरना ये फिर भी बैकवर्ड ही रह जायेंगे।

श्री मोलहू प्रसाद (बांसगांव) : सभापति महोदय, यह जो विधेयक कुछ अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों को सूची में शामिल करने और निकालने के लिये लाया गया है, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इसका अभी तक कोई वैज्ञानिक पहलू नहीं ढूंढा गया है। इन जातियों के लोग कितने सम्पन्न हो चुके हैं, आर्थिक दृष्टि से कितने ऊपर उठ चुके हैं, इनके सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय को जानकारी हासिल करनी चाहिये थी। वित्त मंत्रालय अपने रेवेन्यू विभाग के द्वारा इस बात की जांच करा कर पता लगा सकता था कि किन जातियों की आर्थिक स्थिति ऊंची उठ चुकी हैं और किनकी अभी नहीं उठ चुकी है, उसके आधार पर उनको निकालना चाहिये था। लेकिन आर्थिक पहलू न लेकर केवल सामाजिक पहलू लिया गया है, यह भी न्यायोचित बात नहीं है। जहां तक जातियों को राज्यवार मान्यता देने की बात है उसमें भी संकुचित भावना दिखाई पड़ती है। जिन अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों को मान्यता मिली है, वह चाहे किसी भी प्रदेश में हों वह मान्यता प्रदेशीय स्तर पर नहीं लिक राष्ट्रीय स्तर पर मिलनी चाहिये क्योंकि किसी भी जाति को जब एक सूबे में मान्यता मिल जाती है तो फिर कोई कारण नहीं है कि दूसरे प्रदेशों में मान्यता क्यों न मिले। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है और न ऐसा करने के लिये सरकार अभी तैयार है। वैसे तो यदि वास्तविक स्थिति से देखा जाये तो बिना बताये कोई नहीं जान सकता है कि कौन किस जाति का आदमी है क्योंकि मस्तक पर तो लिखा नहीं रहता है कि फलाना आदमी फलानी जाति का है, वैसे तो कौन जाति का कौन आदमी है किसी को पता नहीं, केवल जो मां पैदा करने वाली है उसी को पता रहता है कि कौन बच्चा किस जाति का है। तो कोई वैज्ञानिक पहलू इस देश में नहीं लिया जाता है। आर्थिक और सामाजिक दोनों स्थितियों के कारण यह रिजर्वेशन दिया गया है लेकिन उसमें राजनीतिक दांव पेंच लगाकर इस मामले को जानबूझ कर निष्प्रभावी किया जा रहा है। सन् 61 की जनगणना का आधार भी इसमें नहीं माना गया है और 71 की जनगणना की रिपोर्ट तो बाद में ही आयेगी जिससे कि पता चल सके कि किस जाति के लोग कितनी संख्या में हैं और कितने सम्पन्न हो चुके हैं। इसलिये यह जो विधेयक पास होने जा रहा है वह न तो 61 की जनगणना पर आधारित है और न 71 की जनगणना पर ही आधारित होगा। यह सरकार असमंजस में है। सरकार हमेशा दुविधा की नीति हो अपनाती है। कभी भी इसका दिमाग ठीक नहीं रहता है। किसी भी समस्या को ठीक ढंग से सुलझाने के लिये यह तैयार नहीं रहती है।

वैसे पिछले सत्र में पेरुमल कमेटी की रिपोर्ट पर बीस घंटे चर्चा हुई थी लेकिन कई प्रश्नोत्तरों से पता चला है कि केन्द्रीय सरकार जिन सिफारिशों से सम्बन्ध रखती है उन पर उसने एक इन्च भी कदम नहीं उठाया है बल्कि उस रिपोर्ट को निष्प्रभावी बनाने के लिये वासुमतारी कमेटी के सामने उस मामले को रखा जा रहा है ताकि उसमें और काट-छांट कर सकें। लेकिन सही मानों में और ईमानदारी से देखा जाये तो इस सरकार के पास कोई तर्क नहीं है सिवाय इसके कि सरकार पेरुमल कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करे परन्तु वह ऐसा नहीं कर रही है। पिछले सत्र में जब इस मामले का उल्लेख किया गया कि अनुसूचित जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाये और उनकी सुविधाओं को बढ़ाया जाये तो प्रधान मंत्री ने अपना उत्तर देते हुए कहा कि सरकार का बजट एलाऊ नहीं करता है। मैंने अपने जिले में देखा है कि किसी भी स्कूल या कालेज में अगर 25 या 30 लड़के पढ़ते हैं तो उनमें से केवल दो लड़कों को ही छात्रवृत्ति मिलती है, बाकी 28 लड़के वैसे ही रहते हैं।

तो इस प्रकार से कोई भी फायदा नहीं हो सकता है। छात्रवृत्तियों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिये लेकिन भारत सरकार और प्रधान मंत्री कहती हैं कि बजट एलाऊ नहीं करता है। अभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिये भत्ता बढ़ाया गया है तो उसको बजट ने कैसे एलाऊ किया ? यह बात कुछ समझ में नहीं आती है। आखिर यह विरोधाभास क्यों है ? जितने पेन्शन पाने वाले हैं उनकी पेंशन की रकम को बढ़ाया जा रहा है फिर केन्द्रीय सरकार का बजट अनुसूचित और आदिम जातियों के छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाने के लिये एलाऊ क्यों नहीं करता है ? इसलिये इस सरकार की मंशा क्या है, अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में यह सरकार कोई भी कानून बनायेगी तो उस पर अमल भी करेगी, इस बात का विश्वास नहीं होता। छुआछूत सम्बन्धी जो विधेयक है वह पिछले सत्र में ही पास होने वाला था लेकिन उसको जानबूझ कर लटकाया जा रहा है और यह कोशिश की जा रही है कि वह न आ सके। मुझे तो ऐसा अनुमान हो रहा है कि इस सेशन में भी विधि मंत्री उसको नहीं लायेंगे।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखेंगे। अब इस समय गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लिया जायेगा।

15.30 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

SIXTY-EIGHT REPORT

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak): I beg to move:

"That this House do agree with the Sixty-eighth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 18th November, 1970."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That this House do agree with the Sixty-Eighth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on 18th November, 1970."

The motion was adopted.

15.31 hrs.

RESOLUTION RE: LAW AND ORDER SITUATION IN WEST BENGAL-*Contd.*

सभापति महोदय : इस प्रस्ताव के लिए साढ़े पांच घण्टे का समय नियत किया गया था जिसमें से तीन घंटे 12 मिनट का समय हो चुका है ओर अब दो घंटे 18 मिनट शेष रहते हैं। आज पहला भाषण श्री जगन्नाथ राव जोशी का होगा।

श्री जगन्नाथ राव जोशी (भोपाल) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री नाथ पाई जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है उसी विषय पर कुछ दिन पहले चर्चा हुई है। वास्तव में यह कोई नयी समस्या नहीं है। पश्चिम बंगाल में 1967 के चुनाव के उपरान्त सन् 1969 में फिर चुनाव हुआ। उसके बाद वहां पर एक नयी सरकार बनी परन्तु वह भी टिक नहीं सकी। आज फिर राष्ट्रपति महोदय का शासन वहां पर जारी है। वहां पर राष्ट्रपति शासन चालू होने के उपरान्त, वहां की जो स्थिति थी उसमें कुछ परिवर्तन आयेगा, ऐसी जो कल्पना थी उस कल्पना पर भी पानी फिर गया है। पिछले तीन चार दिनों के अखबारों में ही जिस प्रकार की खबरें वहां से आ रही हैं उनको अगर पढ़ा जाए तो पता चलेगा कि वहां की स्थिति कितनी गम्भीर रूप धारण करती चली जा रही है। वहां पर लेजिस्लेटिव विभाग के जो सेक्रेटरी थे उनकी भी हत्या कर दी गई है। इस प्रकार